सत्यमेव जयते
कुलाधिपति
Chancellor

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि
..............................विश्वविद्यालय,
..................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.27(2)आरबी/2022 पार्ट–1/5351
दिनांक : 03 अक्टूबर, 2025

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 5111–12 दिनांक 29.09.2022 के माध्यम से डॉ. अरूण कुमार को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का कुलगुरू नियुक्त किया गया था।

राजभवन के आदेश क्रमांक 4729–30 दिनांक 26.8.2025 के माध्यम से डॉ. अरूण कुमार, कुलगुरू, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं कार्यवाहक कुलगुरू, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को तत्काल प्रभाव से कुलगुरू पद से हटाया गया है। जिसके कारण उक्त दोनों विश्वविद्यालयों में कुलगुरू का पद रिक्त हो गया है।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) की धारा 19(3) एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25(9) के अंतर्गत दोनों विश्वविद्यालयों में नियमित कुलगुरू की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर व कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) की धारा 19(9) व 19(10) एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25(9) व (10) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो. अखिल रंजन गर्ग, कुलगुरू, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को अग्रिम आदेशों अथवा संबंधित विश्वविद्यालय में नियमित कुलगुरू की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलगुरू के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0
(हरिभाऊ बागडे)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.27(2)आरबी / 2022 पार्ट–1 / 5360 दिनांक : 03 अक्टूबर, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रो. अखिल रंजन गर्ग, कुलगुरू, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. कुलसचिव, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
8. कुलसचिव, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
9. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

सचिव,
राज्यपाल राजस्थान